



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎- 0651-2481813/ 7209864111

पत्रांक : 01/यो0ब0-08/2020-480

दिनांक : 03/08/26

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु कुल **रु0 114.96 लाख (एक करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-22/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-21 OA व0प0 दिनांक 17.06.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 114.96 लाख (एक करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	114.96
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	0.00
कुल :-		114.96

[Signature]

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110158010103, 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।
15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।
16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
- 17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।
- (II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।
- (III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।
- (IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।
- (V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।
- (VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।
- (VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।
- (VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगा।

21. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या 04/यो0ब0-24/2020-2517 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-08/2020-480 दिनांक- 03/08/26

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संधाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ दुमका/ पलामू/ बोकारो/ राँची/ जमशेदपुर/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ दुमका/ पलामू/ गढ़वा/बोकारो/ गिरिडीह/ राँची/ गुमला/ चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-08/2020-480 दिनांक- 03/08/26

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ चतरा/ गोड्डा/ देवघर/ दुमका/ जामताड़ा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ धनबाद/ गिरिडीह/ डोरण्डा, राँची/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ लातेहार/ कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

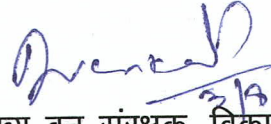
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			5694.00	0.00	5694.00
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
5	गोड्डा वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
6	देवघर वन प्रमण्डल	100	5.69	0.00	5.69
7	दुमका वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
8	जामताड़ा वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
9	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	100	5.69	0.00	5.69
10	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
11	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
12	धनबाद वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
13	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
14	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
15	राँची वन प्रमण्डल, राँची	50	2.85	0.00	2.85
16	लोहरदगा वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
17	सिमडेगा वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
18	चाईबासा वन प्रमण्डल	50	2.85	0.00	2.85
19	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	50	2.85	0.00	2.85
20	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	89	5.07	0.00	5.07

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			5694.00	0.00	5694.00
i	ii	iii	iv	v	vi
21	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	80	4.56	0.00	4.56
22	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	80	4.56	0.00	4.56
23	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	80	4.56	0.00	4.56
24	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	80	4.56	0.00	4.56
25	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	130	7.39	0.00	7.39
26	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	130	7.39	0.00	7.39
27	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	100	5.68	0.00	5.68
28	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	100	5.68	0.00	5.68
29	विश्व खाद्य कार्यक्रम, दुमका	100	5.68	0.00	5.68
योग :-		2019	114.96	0.00	114.96


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, वनभूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं नदी के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 468.00 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा	हे०	12.17	5694.00		5694.00	
योग :-			12.17	5694.00	0.00	5694.00	
(B) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा	हे०	12.17	5694.00		5694.00	
योग :-			12.17	5694.00	0.00	5694.00	

- नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-08/2020/480

दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	49618	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	49619	HZBFWL005 MAUN PRAKASH D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	49620	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये आठ लाख पचपन हजार

855,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	49623	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	49624	GDDFOR164 WAGH PAVAN SHALIGRAM DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	49627	DGRFORE88 ABHISHEK BHUSHAN DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	569,000.00 रुपये पॉच लाख उनहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये उन्नीस लाख चौरानवे हजार

1,139,000.00

क्रमिक योग:

1,994,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADBI/PCCE/DEV/JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49629	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49631	JMTFOR001 RAHUL KUMAR D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49633	PLMFOR070 SATYAM KUMAR D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV. 03 - मजदूरी	569,000.00 रुपये पाँच लाख उनहत्तर हजार

योग:

रुपये इकतीस लाख तैतीस हजार

1,139,000.00

क्रमिक योग:

3,133,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADL ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49636	GRHFWL001 ANSHUMAN D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पचयासी हजार
11	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49638	GRHFWL004 EBIN BENNY ABRAHAM D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पचयासी हजार
12	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49640	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पचयासी हजार

योग:	रुपये उनचालीस लाख अठयासी हजार	855,000.00
क्रमिक योग:		3,988,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49643	GRDFOR001 MANISH KUMAR TIWARI DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
14	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49647	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
15	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49650	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार

योग:

रुपये अडतालीस लाख तीरयालीस हजार

855,000.00

क्रमिक योग:

4,843,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL-PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49654	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
17	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49657	SDGFOR002 SHASHANK SHEKHAR SINGH DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
18	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49665	SGHFOR010 ADITYA NARAYAN DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
योग:	रुपये छप्पन लाख अठानवे हजार			855,000.00
क्रमिक योग:				5,698,000.00

क्र.सं.	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49671	DRNFWL004 VINAY KANT MISRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार
20	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49674	SDGAIF002 AMARNATH BHAGAT DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	507,000.00 रुपये पाँच लाख सात हजार
21	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49683	JSRFOR116 KULDEEP MEENA D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार

योग: रुपये उनहत्तर लाख छयालीस हजार
क्रमिक योग:

1,248,000.00

6,946,000.00

(Signature)
(DESETTI VENKATESWARLU)
SADDI ECCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49686	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
23	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49688	LTRFOR004 PRAWESH AGRAWAL D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
24	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49690	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
योग:	रुपये तिरयासी लाख चौदह हजार			1,368,000.00
क्रमिक योग:				8,314,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49692	HZBFWL007 AJAY KUMAR D F O S F DIVISION HAZARIBAGH 03 - मजदूरी	739,000.00 रुपये सात लाख उनचालीस हजार
26	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49694	KDMFORA02 RAUSHAN KUMAR D.F.O (S.F.) KODERMA 03 - मजदूरी	739,000.00 रुपये सात लाख उनचालीस हजार
27	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49696	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	568,000.00 रुपये पाँच लाख अड़सठ हजार

योग:

रुपये एक करोड तीन लाख साहठ हजार

2,046,000.00

क्रमिक योग:

10,360,000.00

(Signature)
(DESETTI VENKATESWARLU)
ADIL PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49698	DGRFORE87 ABHISHEK BHUSHAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	568,000.00 रुपये पाँच लाख अडसठ हजार
29	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	49701	DMKFOR004 SATWIK D.F.O.W.F.P.DUMKA 03 - मजदूरी	568,000.00 रुपये पाँच लाख अडसठ हजार

योग: रुपये एक करोड चौदह लाख छयानवे हजार 1,136,000.00

क्रमिक योग: 11,496,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL ECCE DEV. JHARKHAND